>

Title: Need to give age relaxation to the employees belonging to SC, ST & OBC class in Madhya Pradesh.

श्री नारायण सिंह अमलाबे : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 311/2012/3/एक दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में शासकीय सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष को बढ़ाकर 45 वर्ष नियत की गयी है। किन्तु, उक्त परिपत्र में आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवकों को किसी भी प्रकार की छूट न देते हुए आयु सीमा पूर्व की तरह 45 वर्ष ही रखी है जो किसी भी तरह से सांवैधानिक प्रतीत नहीं होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के लाभ से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवकों को भी पांच वर्ष की छूट का लाभ देते हुए उनकी अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष नियत की जाय। ऐसा करने से हजारों की संख्या से आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।